फॉर्म ए
सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत)
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)
एबुलिएंट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**एबुलिएंट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट के निगमन की तिथि	02.03.2016
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U74120UP2016PTC076933
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 1ए–103, जीसी ग्रैंड वैभव खंड इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201014
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	14.02.2024 (आईआरपी को आदेश 16.02.2024 को प्राप्त हुआ)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	12.08.2024 यानी दिवालियेपन से 180 दिन प्रारंभ की तिथि
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	सत्येन्द्र शर्मा रजि. क्रमांक **IBBI/IPA-002/IP-N00737/2018-19/12260**
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	पता: एम–3, ब्लॉक नंबर 51, अनुपम प्लाजा–II, प्रथम मंजिल, एक्सिस बैंक के ऊपर, संजय प्लेस, आगरा–282002, उत्तर प्रदेश, भारत,ई–मेल आईडी: satyendersirp@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	पता: एम–3, ब्लॉक नंबर 51, अनुपम प्लाजा– II, प्रथम मंजिल, एक्सिस बैंक के ऊपर, संजय प्लेस, आगरा–282002, उत्तर प्रदेश, भारत, ई–मेल आईडी: satyendersirp@gmail.com; cirp.ghullientcables@outlook.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01/03/2024
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	इस पर लेनदारों का कोई वर्ग सुनिश्चित नहीं किया जा सका
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है। (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	इस स्तर पर लेनदारों के किसी भी वर्ग का पता नहीं लगाया जा सका, तदनुसार कोई अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तावित नहीं है।
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख)अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	क)वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) कॉलम 13 के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं है

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच ने 14.02.2024(आईआरपी को आदेश 16.02.2024 को प्राप्त हुआ) को एबुलिएंट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है,
एबुलिएंट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए 01.03.2024 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता, फॉर्म सीए में वर्ग के अधिकृत प्रति. निधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत प्रति. निधि की अपनी पसंद का संकेत देगा। लागू नहीं
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

हस्ता/–
सत्येन्द्र शर्मा
अंतरिम समाधान पेशेवर,
रजि. क्रं. IBBI/IPA-002/IP-N00737/2018-19/12260

दिनांक: 18.02.2024
स्थान : आगरा

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र शाखा कार्यालय: 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.–7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड(इसके बाद इसे "एफआईएचएफसीएल" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 20.07.2023 को ग्रहण कर लिया गया है, तथा "एफआईएचएफसीएल" द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उसे अब 12.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह श्री राहुल पाठक, श्रीमती पूजा पाठक से कोटक महिंद्रा बैंक लि., सुरक्षित लेनदार को देय ऋण खाता संख्या के तहत 611607210646589 के तहत 16.02.2024 तक 16.02.2024 तक 31,08,220/– (इकतीस लाख आठ हजार दो सौ बीस रुपये मात्र)एवं 16.02.2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू भविष्य के ब्याज के साथ लागत और शुल्क की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु.10,80,000/–(रुपये दस लाख अस्सी हजार मात्र) और बयाना राशि रुपये रु. 1,08,000/– (रुपये एक लाख आठ हजार मात्र) होगी। और केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 011–03–2024 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी।
संपत्ति का विवरण:– मौजा कारबरी ग्रांट परगना पछवादून जिला देहरादून में स्थित खतौनी संख्या 341 (फस्ली वर्ष 1416 से 1421) खसरा संख्या 1187 न्यूनतम क्षेत्रफल माप 67.00 वर्ग मीटर के साथ 52.04 वर्ग मीटर के कुल कवर क्षेत्र वाली बंधक संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश है, इसकी सीमा निम्नलिखित के भीतर:– पूर्व द्वारा:– श्री राजेंद्र सिंह की संपत्ति, पश्चिम द्वारा:– अन्य की संपत्ति, उत्तर द्वारा:– 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण की ओर:– वन विभाग की संपत्ति,
उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं।
बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608), श्री राहुल राजन (+91 9319447693) और श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402)से संपर्क कर सकते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.kotak.com** तथा/अथवा **https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें।

स्थान: देहरादून, दिनांक: 18.02.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी ,कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत)
अविनाश जैन (एराइज इंडिया के व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	अविनाश जैन
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	पता 1: ए–3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, पता 2: केबिन नंबर 2,बी–38 जैन, चौक, मंगल पुरी, मेन रोड,पाम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045
3.	व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	13.02.2024
4.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच, बेंच V द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2023,जिसके पास सी.पी. (आईबी) क्रमांक–222/एनडी/2022 है।
5.	समाधान पेशेवर का विवरण जिसके पास दावे पंजीकृत किए जाने हैं	सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद आईबीबीआई/आईपीए–003/आईपी–एनओ00110/2017–2018/11186
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	202, सम्राट अशोक एन्क्लेव, सेक्टर–18ए, प्लॉट नंबर 6, द्वारका, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110075 ईमेल पता: Deepika.bhugra@gmail.com
7.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली 110048 ई–मेल: pgibc.ariseindia@yahoo.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.03.2024
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध है:	वेबलिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच–ट नई दिल्ली ने 13 फरवरी 2024 को अविनाश जैन (एराइज इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री अविनाश जैन पुत्र स्व. सज्जन कुमार अग्रवाल के लेनदारों को 05.03.2024 को या उससे पहले सबूत के साथ अपना दावा प्रविष्टि संख्या 7 के सामने उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
लेनदार अपने दावे सबूत के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे।
दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दिनांक: 18 फरवरी 2024
स्थान: नई दिल्ली
सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद
दिवाला पेशेवर
पंजीकरण संख्या: आईबीबीआई/आईपीए–003/आईपी–एनओ00110/2017–2018/11186

Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 1800300008425
Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

निजी सामान हटाने के लिए नोटिस

सेवा में

विनोद राधेश्याम	हेमलता शर्मा
(प्रधान उधारकर्ता)	(सह–कर्जदार)
164, निकट टैगोर पब्लिक स्कूल, कलवार रोड, रामनगर विस्तार, जयपुर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान 302012 भारत	164, निकट टैगोर पब्लिक स्कूल, कलवार रोड, रामनगर विस्तार, जयपुर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान 302012 भारत

मांग सूचना दिनांक 05-01-2023 के अनुसार, कर्जदार विनोद राधेश्याम, हेमलता शर्मा रु. 11,38,610/- (रुपये ग्यारह लाख अड़तीस हजार छह सौ दस मात्र) की राशि चुकाने में विफल रहे। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी ने 13-03-2023 को उक्त नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति में सामान/चल/व्यक्तिगत संपत्ति पड़ी हुई है और उसे इस नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर हटा दिया जाएगा। यदि उक्त सामान को संपत्ति से नहीं हटाया जाता है, तो उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बेचा/निपटारा किया जाएगा। कानून के अनुपालन में संपत्ति के भंडारण से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए होम फर्स्ट जिम्मेदार नहीं होगा, जिसकी लागत और परिणाम के लिए आप अकेले जिम्मेदार होंगे।
आपको सूचित किया जाता है कि आपको प्राधिकृत अधिकारी (शिवांगी अग्रवाल - 8949562994) से संपर्क करना होगा और इस नोटिस की तारीख से सात दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित संपत्ति से निजी संपत्ति को हटाने की व्यवस्था करें।
यह सार्वजनिक सूचना आपसे नवीनतम बकाया राशि की वसूली के लिए होम फर्स्ट के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की गई है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर: 16, गणपति विहार-ए, कलवार रोड, हाथोज, जयपुर राजस्थान 302012

दिनांक: 18-02-2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: जयपुर — **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड**

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्त्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060113241344 व L9001060113241354 **बाबेन्द्र गुप्ता (ऋणी)**, विनीत कुमार गुप्ता (सह-ऋणी), श्रीमती पुष्पा देवी (सह-ऋणी)	11 अक्टूबर 2023 ₹ 1005741/- रु. दस लाख पांच हजार सात सौ इकतालीस मात्र व ₹ 199336/- रु. एक लाख निन्यानबे हजार तीन सौ छत्तीस मात्र 10 अक्टूबर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित केएच नं. 513, फ्लेट नं. 124-सी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सम्पत्ति की चारों सीमाएँ पूर्व : गली 10 फीट, पश्चिम : रोड 10 फीट, उत्तर : बचा हिस्सा, दक्षिण : रोड 30 फीट **क्षेत्रफल 65 वर्ग गज**	12 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001060101005578 **इदरीस (ऋणी)**, मोहम्मद इर्शाद (सह-ऋणी), श्रीमती अमाना (सह-ऋणी)	16 नवम्बर 2023 ₹ 669636/- रु. छः लाख उनहत्तर हजार छः सौ छत्तीस मात्र 10 नवम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित कॉमर्शियल प्लॉट नं. 120, ब्लॉक नं. खसरा नं. 1674, कंचन पार्क, परगना लोनी, गांव लाकड़पुर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सम्पत्ति की चारों सीमाएँ - पूर्व : रोड, पश्चिम : ऑनर का अन्य प्लॉट, उत्तर : ऑनर का अन्य प्लॉट, दक्षिण : रोड, **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज**	12 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001060131737471 **प्रवीण कुमार (ऋणी)**, श्रीमती इन्दरवती (सह-ऋणी)	17 नवम्बर 2023 ₹ 708082/- रु. सात लाख आठ हजार बयासी मात्र 15 नवम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 1627/1मिन, गांव - लोनी, भाग रानप, परगना लोनी स्कूल के पास, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102 **क्षेत्रफल 50 वर्ग गज**	12 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001060126267169 **कमल कुमार सिंह (ऋणी)**, श्रीमती रिंकी सिंह (सह-ऋणी)	9 अक्टूबर 2023 ₹ 1263473/- रु. बारह लाख तरेसठ हजार चार सौ तिहत्तर मात्र 7 अक्टूबर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित एच नं. 3736/एलआईजी/एफएफ, मकान बोर्ड कॉलोनी, पोकेट-2, सेक्टर-3, तहसील बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा **क्षेत्रफल 17 वर्ग गज**	12 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001060123499108 **मंगल सेन (ऋणी)**, श्रीमती अंजू देवी (सह-ऋणी)	13 अक्टूबर 2023 ₹ 541101/- रु. पांच लाख इकतालीस हजार एक सौ एक मात्र 10 अक्टूबर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी ए 80 1515 बृज विहार हडबस्त गाजियाबाद, लोनी, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज**	12 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001060717543330 **श्रीमती पूनम रस्तोगी पत्नी स्व. श्री मनोज रस्तोगी (सह-ऋणी)**	19 जून 2023 ₹ 1858333/- रु. अठारह लाख अठावन हजार तीन सौ तैंतीस मात्र 19 जून 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित 91-बी, पहली मंजिल, केएच नं. 23, पीछे की तरफ, गली नं. 04, कृष्णा नगर, गांव - हुमायुनपुर, नई दिल्ली, सम्पत्ति की चारों सीमाएँ - पूर्व : 91-ए, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : गली बाद मेहँदर अली का मकान, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति **क्षेत्रफल 39.47 वर्ग गज**	14 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001061124380057 **एच एन एन्टरप्राइजेज जरिए प्रोपराइटर मोहम्मद नासिम (ऋणी)**, श्रीमती नूर बानो (सह-ऋणी), मोहम्मद नासिम (सह-ऋणी)	11 अक्टूबर 2023 ₹ 195233/- रु. एक लाख पिच्यानवे हजार दो सौ तैंतीस मात्र 10 अक्टूबर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 1042, चमन विहार, गांव - लोनी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सम्पत्ति की चारों सीमाएँ - पूर्व : अन्य ऑनर, पश्चिम : अन्य ऑनर, उत्तर : 15 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : अन्य ऑनर **क्षेत्रफल 108 वर्ग गज**	14 फरवरी 2024
ऋण खाता सं.: L9001060121758162 **लज्जा राम (ऋणी)**, श्रीमती चमेली (सह-ऋणी)	16 नवम्बर 2023 ₹ 1374247/- रु. तेरह लाख चौहत्तर हजार दो सौ सैंतालीस मात्र 15 नवम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी केएच नं. 302, प्रशांत गार्डन, गांव - खोरा परगना लोनी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सम्पत्ति की चारों सीमाएँ - पूर्व : डिगर सम्पत्ति, पश्चिम : डिगर सम्पत्ति, उत्तर : 15 फीट चौड़ी रोड़, दक्षिण : डिगर सम्पत्ति **क्षेत्रफल 50 वर्ग गज**	13 फरवरी 2024

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 17–फरवरी–2024 — **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमि.
J&K Bank — Serving to Empower
इम्पेयर्ड एसेट्स पोर्टफोलियो प्रबंधन विभाग
ज़ोनल आफिस : कठुआ (जे एंड के) एनएचडब्ल्यू-44, नजदीक फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स आफिस, कठुआ-184102 जे एंड के टेली : 01922-234663, 238586 ई-मेल : amid.zojtwo@jkbmail.com
ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : कार्पोरेट हैडक्वार्टर एम.ए. रोड, श्रीनगर-190001 कश्मीर, भारत T +91 (0)194 2481 930-35 F +91 (0)194 248 1928
CIN: L65110JK1938SGC000048 Email info@jkbmail.com, Website : www.jkbank.net

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 की संख्या 54) के प्रतिभूतीकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन और सुरक्षा ब्याज के प्रवर्तन के तहत बैंक को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जबकि इसके तहत वर्णित उधारकर्ताओं ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड ने दीपी बनत बिक बै और नीचे वर्णित अनुसार राशि का भुगतान और उस पर आगे ब्याज देय है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड ने अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से धारा 13(4) सपठित अधिनियम 2002 के तहत निम्नी रखी गई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था और बैंक ने "जैसे है जहां है" "जो भी है", तथा "बिना किसी रिकोर्स आधार पर सुरक्षित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 से 9 के अंतर्गत वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

ऋणदेता/मॉर्टगेजर/गारंटर का नाम	1. **मै. ग्रेट हिमालयन फार्म प्रेट्रा** सोल मर्चेन्ट, मोहाल Pret, तहसील Mangram Pret जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176216 में स्थित मर्चेन्ट इसके प्रोप्राइटर श्री मदन लाल कपूर पुत्र श्री गोंड राम (कलेक्टर फर्म), **2. श्री मदन लाल कपूर पुत्र श्री गोंड राम** निवासी ग्रेट हिमालयन रिजर्ट, धगसू जल पनियारा, मैजा तल तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176219 स्थाई पी : वगवीर (07), नम्बा हिमाचल प्रदेश-176315 (ज्वैलाइटर/मॉर्टगेजर) **3. सुश्री विभूति कपूर पुत्री श्री मदन लाल कपूर** निवासी ग्रेट हिमालयन रिजर्ट धगसू पात, पनियारा कांगड़ा (हि.प्र.), स्थाई पी : बी-1/403 सन्नी वैली अपार्टमेंट्स सेक्टर-12, द्वारका जिला न्यायालय परिसर, द्वारका, दिल्ली-110075 (गारंटर/मॉर्टगेजर), **4. श्री सर्वजीत कपूर पुत्र श्री मदन लाल कपूर** निवासी ग्रेट हिमालयन रिजर्ट धगसू पात, पनियारा, कांगड़ा (हि.प्र.)-176219, स्थाई पी : बी-1/403, सन्नी वैली अपार्टमेंट्स सेक्टर-12, द्वारका एनएचआईटी द्वारका साउथ दिल्ली-110075 (गारंटर/मॉर्टगेजर), **5. श्री संजीव रावत पुत्र श्री धर्म सिंह रावत** निवासी गांव व डाकघर पनियार, तहसील पनियार, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) (गारंटर), **6. श्री सुरेश कुमार पुत्र पूर्ण चन्द** निवासी वार्ड नं. 8, गांव Chilgarhi, तहसील पनियार, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) (गारंटर)।
डिमांड नोटिस 17.11.2022 की राशि (01.11.2022 से ब्याज व अन्य खर्चों सहित)	डिमांड नोटिस दिनांक 17.11.2022, रु. 12,71,20,676.15 देय
31.01.2024 के अनुसार बकाया	**रु. 14,18,38,865.59+01.02.2024 से आगे ब्याज व चार्जेज**
गिरवी/रहन संपत्ति का विवरण	संपूर्ण जमीन माप 03-45-39 हैक्टेयर, खाता नं. 4, खतौनी नं. 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 और 92 किला 12, Mohal Prairo, हदबस्त नं. 229, पटवार सर्कल सलोह, तह. व जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में, जमाबंदी साल 2012-2013, मदन लाल कपूर पुत्र गोंड राम के नाम पर और, जमीन 00-75-07 हैक्टेयर के सहित शेष अविभक्त, खाता नं. 5, खतौनी नं. 7, खसरा नं. 71, Mohal Prairo, पटवार सर्कल सलोह, तह. व जिला कांगड़ा में, Tehsanila पुत्र हरीया निवासी Mohal Prairo के नाम पर और पर्यंत, समेतनी तथा सभी किस्म संरचनाएं सहित 50 वर्ष हेतु मदन लाल कपूर पुत्र गोंड राम के पक्ष लीज पर।
नियत आरक्षित कीमत :	Rs. 33.26 Crore (Rupees Thirty Three Crore Twenty Six Lac Only)
जमानत राशि :	Rs. 3,32,60,000/- (Rupees Three Crore Thirty Two Lac Sixty Thousand Only)
मॉर्टगेज/रहन संपत्तियों का विवरण	जमीन एवं इट हिमालयन रिजर्ट के नाम से जाने जाने रेस्टोरेंट के सभी हिस्से, तीन व्यक्तियों नामतः मदन लाल कपूर पुत्र गोंड राम, धर्मचंद कपूर पुत्र मदन लाल कपूर तथा जैसा विभूति कपूर पुत्री मदन लाल कपूर के नाम पर दर्ज अर्थात : (i) जमीन खा 5972-24 वर्ग मीटर का 1/2 हिस्सा, कुल जमीन खा 7984-48 वर्ग मीटर में से, खाता नं. 85, खतौनी नं. 262, खसरा नं. 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468 किले 10 में शामिल, मौजा चरमू नगर, तहसील नं. 363/3, जसवीर पनियाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में स्थित, श्री मदन लाल कपूर पुत्र गोंड राम के नाम पर। (ii) जमीन खा 1612.12 वर्ग मीटर का 1612/2/7984/8 हिस्सा, कुल जमीन खा 7984-48 वर्ग मीटर में से, खाता नं. 85, खतौनी नं. 262, खसरा नं. 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468 किले 10 (फर्द अंक) में शामिल, मौजा चरमू नगर, मौजा एवं तहसील पनियाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में स्थित, श्री धर्मचंद कपूर पुत्र मदन लाल कपूर के नाम पर। (iii) जमीन माप 1612.12 वर्ग मीटर का 1612/2/7984/8 हिस्सा, कुल जमीन माप 7984-48 वर्ग मीटर में से, खाता नं. 85, खतौनी नं. 262, खसरा नं. 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468 किले 10 (फर्द अंक) में शामिल, मौजा चरमू, मौजा एवं तहसील पनियाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में स्थित, सुश्री विभूति कपूर पुत्री मदन लाल कपूर के नाम पर।
नियत की गई आरक्षित कीमत	Rs. 11.62 Crore (Rupees Eleven Crore Sixty Two Lac Only)
ईएमडी	Rs. 1,16,20,000/- (Rupees One Crore Sixteen Lac Twenty Thousand Only)
बोली वृद्धि लागत	Rs. 50000/- (Rupees Fifty Thousand Only)
जमा का नाम	The Jammu and Kashmir Bank Ltd., Branch : LCU Mohali, Punjab Mobile No. 9803081365 email :- lcu.mohali@jkbmail.com Contact Person : Ms. Meenakshi Raina
अधिकृत अधिकारी/पद नाम	Mr. Jagdeep Kumar Mobile No. 9506885222
ईएमडी एवं दस्तावेज भेजने की अंतिम तिथि एवं समय	04.03.2024 upto 04.00 PM
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	05.03.2024 between 12.00 P.M. to 01.00 P.M.
अकाउंट नंबर जो आरटीजीएस द्वारा ईएमडी की भेजी रकम का विवरण	Account No. 0370010100201136, Account Name: E-